

कार्यालय अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) संयुक्त संगठन, गाजियाबाद

शासनादेश सं0 1999/1-13/13/2004 रा-13 दि0 11.11.2004 द्वारा निर्धारित प्रारूप

अधिकार पत्र (कब्जा परिवर्तन)

1. राजस्व ग्राम का नाम : नानू
2. परगना, तहसील व जिला : लोनी / गाजियाबाद / गाजियाबाद
3. अर्जन निकाय का नाम : उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नि0ख0 -- 22 वसुन्धरा गाजियाबाद
4. योजना का नाम : दिल्ली-सहारनपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना, गाजियाबाद
5. धारा-28(1) की विज्ञप्ति का दिनांक : 18.09.98
6. धारा-32(1) की विज्ञप्ति का दिनांक : 27.10.07
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि : - 27-12-12
8. कब्जा देने वाले का नाम : निरंजन सिंह, तीरथ सिंह(अमीन) कार्यालय-अपर जिलाधिकारी (भूमिअध्याप्ति) संयुक्त संगठन, गाजियाबाद

भूमि का विवरण जिसका कब्जा अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को हस्तान्तरित किया जा रहा है, जैसी भी स्थिति है। प्रश्नगत ग्राम की 83.258 है0 विज्ञप्ति भूमि का कब्जा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को दिये जाने हेतु अमीन श्री निरंजन सिंह एवं तीरथ सिंह को अधिकृत किया जाता है, कि वह उक्त भूमि का कब्जा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के सहायक अभियन्ता श्री नवीन कुमार जैन को सौंपें, परन्तु प्रतिबंध होगा कि जिन खसरा नम्बरों का कब्जा परिवर्तन के समय सिविल कोर्ट/मा0 उच्च न्यायालय आदि से उक्त तिथि तक स्थगन है तो उन खसरा नम्बरों में कब्जा परिवर्तन नहीं माना जायेगा।

ग्राम का नाम:- नानू

परगना:- लोनी तहसील/ जिला :- गाजियाबाद

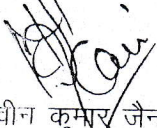
क्र0सं0	खसरा नं0	अर्जित किये जाने वाले गाटे का क्षेत्रफल (हेक्टेर में)	अन्य विवरण
1	92	2.538	
2	93	0.458	
3	94	0.436	
4	95	0.532	
5	96	2.012	
6	97	0.902	
7	98	0.555	
8	99	1.825	
9	101	1.372	

10	102	0.395	
11	103	0.790	
12	104	2.886	
13	106	0.607	
14	107	0.202	
15	108	0.089	
16	109	0.266	
17	110	0.955	
18	111	0.051	
19	112	0.405	
20	113	0.304	
21	114	0.632	
22	115	0.126	
23	116	0.417	
24	117	0.253	
25	118	0.114	
26	119	0.126	
27	120	0.342	
28	121	0.430	
29	122	0.252	
30	123	2.011	
31	124	0.114	
32	125	0.190	
33	126	0.164	
34	127	0.202	
35	128	0.266	
36	130	0.139	
37	131	0.240	
38	132	0.468	
39	133	0.379	
40	135	1.189	
41	136	0.367	
42	137	0.114	
43	138	0.152	
44	139	0.101	
45	140	0.063	
46	141	0.089	
47	142	0.041	
48	143	0.047	
49	144	0.076	
50	145	0.051	
51	147	0.012	
52	148	0.023	
53	150	0.038	
54	158	0.007	
55	159	0.003	
56	160	0.002	
57	183	0.956	

151	774	0.684	
152	775	0.237	म० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका में अंकित खसरा नं० 472/0.276 है०, 495/0.127 है० व 252/0.430 है० कुल क्षेत्रफल 0.833 है० विचाराधीन होने के कारण कब्जा पत्र में शामिल नहीं किया गया निस्तारण के उपरान्त कब्जे की कार्यवाही पृथक से की जायेगी।
153	776	0.239	
154	102/780	0.045	
155	102/781	0.045	
156	191/782	0.003	
	योग:-	83.258	

नोट:- उक्त कब्जा पत्र में ग्राम समाज भूमि एवं खसरा खतौनी में अन्तर के अनुसार पाई गई भूमि का क्षेत्रफल शामिल नहीं किया गया है तथा कब्जा पत्र में कोई सम्पत्ति शामिल नहीं है। इसका निस्तारण अर्जन निकाय स्वयं अपने स्तर से करेगा व रिट याचिकाओं में विचाराधीन क्षेत्रफल को भी शामिल नहीं किया गया है। यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो उसका संशोधन प्रथक से किया जायेगा।

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर



नाम:- श्री नवीन कुमार जैन

पद का नाम:- सहायक अभियन्ता

दिनांक:-



श्री सुधीर सिंह

अवर अभियन्ता

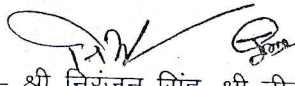
(अरुण कुमार)

अधिशाली अभियन्ता नि०ख०-22

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

सुन्धरा, गाजियाबाद

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर



नाम:- श्री निरंजन सिंह, श्री तीरथ सिंह

पद का नाम:- अमीन

दिनांक:- 27.12.12

प्रति हस्ताक्षरित



अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति)

संयुक्त संगठन

गाजियाबाद